संख्या-661 /18-4-2025-10 (**बजट)/**07

प्रेषक,

प्रवीण कुमार सिंह,
सयुक्त सचिव
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

निर्यात आयुक्त,
निर्यात प्रोत्साहन व्यूरो
उ०प्र०, लखनऊ।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-4 **लखनऊः दिनांक 02 सितम्बर**, 2025

विषय: वितीय वर्ष 2025-26 **के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-**003 **के अंतर्गत त्वरित निर्यात विकास प्रोत्साहन योजना के क्रियान्वयन हेतु प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति निर्गत किए जाने के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपर आयुक्त निर्यात, निर्यात प्रोत्साहन व्यूरो उ०प्र०, लखनऊ के पत्र संख्या-256/**ईपीबी/वित्त0स्वी/निर्गत/**2025-26, **दिनांक** 25-08-2025 **के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष** 2025-26 **के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-**003 **के अंतर्गत त्वरित निर्यात विकास प्रोत्साहन योजना के क्रियान्वयन हेतु प्राविधानित धनराशि रु०** 2500.00 **लाख के सापेक्ष शासनादेश संख्या-341**/18-4-2025-10_**(बजट)/**07, **दिनांक 03-6-2025 द्वारा प्रथम किश्त के रूप में** 75 **प्रतिशत धनराशि अर्थात रु०** 1875.00 **लाख की वित्तीय स्वीकृत निर्गत की गयी है, जिसे प्राविधानित धनराशि रु०** 2500.00 **लाख में से घटाने के फलस्वरूप प्रश्नगत योजना मद में अवशेष धनराशि रू0 625.00 लाख (रू0 छः करोड़ पच्चीस लाख) मात्र की वित्तीय स्वीकृति द्वितीय /अंतिम किश्त के रूप में अग्रांकित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन धनराशि व्ययार्थ आपके निवर्तन पर रखते हुए निर्गत किये जाने हेतु श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-**

1. **उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि आहरित कर संयुक्त निर्यात आयुक्त, निर्यात प्रोत्साहन व्यूरो लखनऊ मण्डल के माध्यम से संयुक्त निर्यात आयुक्त, निर्यात प्रोत्साहन व्यूरो उ०प्र० लखनऊ को त्वरित निर्यात विकास प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत उपर्युक्त योजना/उपमदों के क्रियान्वयन हेतु उपलब्ध करायी जायेगी।**
2. **उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग पूर्व निर्धारित शर्ता एवं प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत मार्ग-दर्शक सिद्धान्तों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का अन्य मद में व्यावर्तन किसी भी दशा में अनुमन्य न होगा।**
3. **उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि सक्षम अधिकारी की वास्तविक मांग पर आहरित की जायेगी तथा उक्त धनराशि केवल उपर्युक्त स्वीकृत योजना पर ही व्यय की जायेगी। किसी भी दशा में स्वीकृत धनराशि अथवा उसके किसी अंश का उपयोग अन्य मदों/अन्य योजनाओं के क्रियान्ययन हेतु नही किया जायेगा ।**

1- **यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।**
2- **इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट** http://shasanadesh.up.gov.in **से सत्यापित की जा सकती है ।**

http://shasanadesh.up.gov.in

4. उपरोक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण करने के पूर्व यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत योजना/कार्य किसी अन्य योजना से स्वीकृत नहीं हुआ/हो रहा है।

5. योजनान्तर्गत स्वीकृत धनराशि को पी०एल०ए०/डिपार्टमेंट खाता में जमा नहीं किया जायेगा।

6. उपरोक्त स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष होने वाले व्यय का नियंत्रण, वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक 6 जून, 1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

7. व्यय प्रबंधन एवं शासकीय व्यय में मितव्यतिता के सम्बंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के साथ-साथ उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य मानको (स्टेण्डर्डस ऑफ फाईनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।

8. उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि के व्यय के संबंध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किये गये अन्य सुसंगत शासनादेशों में उल्लिखित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के साथ ही प्रश्नगत योजना के क्रियान्वयन हेतु सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उयम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा समय-समय पर जारी किये गये सुसंगत शासनादेशों द्वारा प्रदत्त निर्देशों का भी कड़ाई से अनुपालन करते हुए नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

9. पूर्व में प्रथम किश्त के रूप में शासनादेश दिनांक 03-06-2025 द्वारा स्वीकृत धनराशि रू0 1875.00 लाख तथा उक्त प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि का मदवार मासिक व्यय विवरण शासन के विशेष सचिव वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-6 एवं सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग उ०प्र० शासन को प्रपत्र वी-एम-13 में पूर्णतया भरकर उपलब्ध कराया जायेगा।

10. पूर्व में प्रथम किश्त के रूप में शासनादेश दिनांक 03-06-2025 द्वारा स्वीकृत धनराशि रू0 1875.00 लाख तथा इस शासनादेश द्वारा द्वितीय/अन्तिम किश्त के रूप में स्वीकृत की जा रही धनराशि रु० 625.00 लाख से संबंधित सदुपयोगिता प्रमाण-पत्र/व्यय विवरण धनराशि व्यय होने के एक माह के अंदर निर्यात आयुक्त, निर्यात प्रोत्साहन व्यूरो उ०प्र०, लखनऊ द्वारा महालेखाकार (लेखा परीक्षा)- 1 एवं 2 उ0प्र0 प्रयागराज/लखनऊ तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग उ०प्र० शासन को अवश्य उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा ।

11. उक्तानुसार स्वीकृत की जा रही धनराशि से सामग्री उपकरण आदि के क्रय हेतु सामग्री क्रय के संबंध में समय समय पर निर्गत सुसंगत शासनादेशों में निर्धारित क्रय प्रक्रिया/व्यवस्थाओं का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

12. उक्त कार्य पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-003 के अधीन लेखाशीर्षक "2851-ग्राम तथा लघु उद्योग-800-अन्य व्यय-13-त्वरित निर्यात विकास प्रोत्साहन योजना-27-सब्सिडी (लेखाशीर्षक 15 अंकों में 2851- 00-800-13-00-27) के नामे डाला जायेगा।

2- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-जाप संख्या-6/2025/वी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 द्वारा प्रतिनिधानित अधिकारों के अतर्गत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(प्रवीण कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव।

सख्या-661 (1)/18-4-2025. **तद्दिनाक ।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- **महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ०प्र० प्रयागराज ।**

2- **महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ०प्र० प्रयागराज/लखनऊ ।**

3- **महालेखाकार (लेखा परीक्षा-**1) **सी०ए०एस०एस०-३/ टी०डी०ए० कोआर्डिनेशन, उ०प्र० प्रयागराज/लखनऊ।**

4- **आयुक्त एवं निदेशक उद्योग, उद्योग एवं उयम प्रोत्साहन निदेशालय उ०प्र० कानपुर।**

5- **कोषाधिकारी, कानपुर/लखनऊ ।**

6- **निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यकीय निदेशालय**, 125 **जवाहर भवन, लखनऊ ।**

7- **वित्त नियंत्रक, उ०प्र० उद्योग निदेशालय, कानपुर/लखनऊ।**

8- **वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-**6/**वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-**1/**नियोजन अनु**0-1. **सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनु०-**2/3

9- **संयुक्त सचिव (श्री पुष्पेन्द्र सिंह) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग, उ०प्र० शासन को ऑनलाइन बजट एलाटमेण्ट सिस्टम में प्रविष्टि हेतु।**

10- **गार्ड फाइल।**

आज्ञा से,
(प्रवीण कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- **यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।**

2- **इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट** http://shasanadesh.up.gov.in **से सत्यापित की जा सकती है ।**